रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05

REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 21—फरवरी 27, 2009 (फाल्गुन 2, 1930)

No. 8] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 21—FEBRUARY 27, 2009 (PHALGUNA 2, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 195

भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 155

भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 65

भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ... 223

भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम ..... *

भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ ..... *

भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट ..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... *

भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश ..... *

भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 501

भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टें और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस ..... *

भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं ..... *

भाग III—खण्ड-4—विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं 1603

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस 69

भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक ..... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

1--461GI/2008

CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 195

PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 155

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence..... 65

PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence..... 223

PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations..... *

PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations ..... *

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) ..... *

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..... *

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India 501

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs..... *

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners..... *

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies..... 1603

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies 69

PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi..... *

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जनवरी 2009

संख्या 3-प्रेज/2009--राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस, 2009 के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करती हैं :--

श्री एनी गौडा
रिजनल फायर ऑफिसर
कर्नाटक

श्री अशोकनागर लोकेश
सहायक फायर स्टेशन ऑफिसर
कर्नाटक

श्री रजाक मियाँ
सहायक फायर स्टेशन ऑफिसर
कर्नाटक

श्री कैबल्य चरण दास
उप अग्निशमन अधिकारी
उड़ीसा

श्री प्रणविन्द्र कुमार राव
सेनानायक अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय,
उत्तर प्रदेश

श्री संजीब रॉय
प्रधान आरक्षक/ अग्नि
सी0 आई0 एस0 एफ0
गृह मंत्रालय

2. यह पुरस्कार, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाले नियमों के नियम 3(ii) के तहत प्रदान किया जाता है।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

संख्या 4-प्रेज/2009--राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस, 2009 के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करती हैं :--

श्री राम चन्द्र भक्त
सीनियर स्टेशन ऑफिसर,
असम

श्री खगेन्द्र नाथ मेधी
स्टेशन ऑफिसर
असम

श्री देवेन्द्र नाथ शर्मा
सब ऑफिसर
असम

श्री मोहन चन्द्र कलिता
लीडिंग फायरमैन
असम

श्री नव भट्टाचार्जी
फायरमैन
असम

श्री पोल कथार
ड्राईवर
असम

श्री सोहन सिंह वर्मा
उप अग्निशमन अधिकारी
हिमाचल प्रदेश

श्री हरी सिंह नेगी
उप अग्निशमन अधिकारी
हिमाचल प्रदेश

श्री देवेन्द्र सिंह झोटा
फायरमैन
हिमाचल प्रदेश

श्री के0 चन्द्रनाथ
फायर स्टेशन ऑफिसर
कर्नाटक

श्री के0 नागराजू
फायर स्टेशन ऑफिसर
कर्नाटक

श्री एस0 टी0 नागराज
सहायक फायर स्टेशन ऑफिसर
कर्नाटक

श्री के0 शेखर कोटारी
सहायक फायर स्टेशन ऑफिसर
कर्नाटक

श्री जी0 रंगास्वामी
लीडिंग फायरमैन
कर्नाटक

श्री बी0 नागमुनि
फायरमैन
कर्नाटक

श्री एम0 हनुमनतैय्या
फायरमैन,
कर्नाटक

श्री बी0 लोकेश
फायरमैन ड्राईवर
कर्नाटक

श्री सैयद ताजुद्दीन
फायरमैन ड्राईवर
कर्नाटक

श्री के0 एल0 जगन्नाथचारी
ड्राईवर मैकेनिक
कर्नाटक

श्री प्रसाद राम कैमल
असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर
केरल

श्री धरणी धर नाथ
असिस्टेंट स्टेशन ऑफिसर
उड़ीसा

श्री परशुराम बारिक
लीडिंग फायरमैन
उड़ीसा

श्री फनीन्द्र नायक
फायरमैन
उड़ीसा

श्री लक्ष्मण कुमार बेहरा
फायरमैन
उड़ीसा

श्री श्रीमन्त शेखर पंडा
फायरमैन
उड़ीसा

श्री अख्तर सईद
फायरमैन
राजस्थान

श्री रामकरण यादव
फायरमैन
राजस्थान

श्री हनुमान सहाय बुनकर
फायरमैन
राजस्थान

श्री बी0 नन्दगोपाल
डिविजनल ऑफिसर
तमिलनाडु

श्री टी0 पदमकुमार
असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर
तमिलनाडु

श्री आर0 कंडास्वामी
लीडिंग फायरमैन
तमिलनाडु

श्री पी0 विश्वनाथन्
ड्राईवर मैकेनिक
तमिलनाडु

श्री एस0 सुब्रमणीयन
फायरमैन ड्राईवर
तमिलनाडु

श्री ए0 रहमदुल्ला
फायरमैन
तमिलनाडु

श्री ए0 कुलन्दिराज
फायरमैन
तमिलनाडु

श्री पी0 एम0उन्नीकृष्णन्
फायरमैन
तमिलनाडु

श्री आनन्दपाल सिंह
फायर स्टेशन ऑफिसर
उत्तर प्रदेश

श्री राजेन्द्र तिवारी
फायर स्टेशन ऑफिसर
उत्तर प्रदेश

श्री अशोक कुमार
फायर स्टेशन ऑफिसर
उत्तर प्रदेश

श्री वकील अहमद
फायरमैन
उत्तर प्रदेश

श्री निताई चट्टोपाध्याय
स्टेशन ऑफिसर
पश्चिम बंगाल

श्री ज्योतिर्मय रॉय
सब ऑफिसर
पश्चिम बंगाल

श्री विष्णु प्रसाद धर
सब ऑफिसर
पश्चिम बंगाल

श्री विरेन्द्र नाथ राम
लीडर
पश्चिम बंगाल

श्री अतुल हक
लीडर
पश्चिम बंगाल

श्री देवव्रत दास
फायर ऑपरेटर
पश्चिम बंगाल

श्री प्रशांत चक्रवर्ती
फायर ऑपरेटर
पश्चिम बंगाल

श्री धनंजय एन0 पाटिल
प्रबंधक (अग्निशमन सेवायें)
पेट्रोलियम एंव प्राकृतिक गैस मंत्रालय

श्री धनश्याम दास सैनी
प्रबंधक (अग्निशमन सेवायें)
पेट्रोलियम एंव प्राकृतिक गैस मंत्रालय

श्री सोनेश्वर गोगोई
सहायक मुख्य निरीक्षक (अग्निशमन सेवायें)
पेट्रोलियम एंव प्राकृतिक गैस मंत्रालय

2. यह पुरस्कार, सराहनीय सेवा के लिए अग्निशमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाले नियमों के नियम 3(ii) के तहत प्रदान किया जाता है।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

संख्या 5-प्रेज/2009-राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को वीरता के लिए राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

श्री देवी प्रसाद शुक्ला
मुख्य अग्निशमन अधिकारी

श्री शिव दरस प्रसाद
फायर स्टेशन अधिकारी

श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह
फायर स्टेशन अधिकारी

श्री सतेन्द्र सिंह
लीडिंग फायरमैन

श्री सरदार खान
फायरमैन

श्री राजपाल
फायरमैन

दिनांक 30/5/2007 को 1710 बजे अग्निशमन नियंत्रण कक्ष में सूचना मिली कि शहर के बीचोबीच मालरोड पर कार्मार्शिलय काम्पलैक्स में आग लग गई है। सूचना मिलते ही तुरन्त लाटची रोड तथा मीरपुर कन्टोनमेंट दमकल केन्द्र से दस्ते के साथ फायर टैन्डर घटना स्थल की ओर रवाना हो गये। अग्निशमन दस्ते ने रास्ते में जाते हुए देखा कि घटना स्थल से अत्यधिक घुआँ आ रहा है। स्थिति को भाँपते हुए तुरन्त प्रभारी अधिकारी ने नियंत्रण कक्ष को सूचना दी कि वरिष्ठ अधिकारी के साथ अतिरिक्त फायर टेंडर घटना स्थल पर भेज दो।

2. घटना स्थल पर पहुँचने पर श्री डी.पी. शुक्ला, मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने देखा कि आग सिटी सेन्टर भवन में बहुत तेजी के साथ फैल रही है। लोग सुरक्षा के लिए बाहर भाग रहे हैं। उन्होनें अग्निशमन दस्ते को निर्देश दिया कि वह आग बुझाने तथा बचाव की कार्रवाई आरम्भ करें। चारों तरफ धुआँ तथा आग के कारण वहाँ पर रूकना असम्भव हो रहा था। जान को जोखिम में डालते हुए श्री डी. पी. शुक्ला, मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने श्री शिव दरस प्रसाद फायर स्टेशन अधिकारी, श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह,फायर स्टेशन अधिकारी, श्री सतेन्द्र सिंह,लीडिंग फायरमैन,श्री सरदार खान,फायरमैन, श्री राजपाल फायरमैन ने नजदीक भवन 'हीर पैलेस' में प्रवेश किया तथा फायर ब्रिगेड के जीना और रस्सियों की सहायता से हीर पैलेस व सिटी सेंटर भवन के बीचोंबीच पुलनुमा बना लिया और जैसे-तैसे रेंगते हुए चौथी तथा पॉचवी मंजिल में बलपूर्वक प्रवेश करते हुए अर्चना निगम, महेश वर्मा, सचिन, सुनील शर्मा, अमित गुप्ता, हबीबुल्ला नासिर, रमेश श्रीवास्तव तथा राजबीर सिंह को एक-एक कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

3. इस प्रकार सर्व श्री डी.पी. शुक्ला, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, शिव दरस प्रसाद फायर स्टेशन अधिकारी, विरेन्द्र प्रताप सिंह, फायर स्टेशन अधिकारी, सतेन्द्र सिंह, लीडिंग फायरमैन, सरदार खान, फायरमैन, राजपाल फायरमैन ने उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस, नेतृत्व, व्यवसायिक कुशलता और उच्च कोटि की कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

4. ये पुरस्कार, वीरता के लिए राष्ट्रपति के अग्नि शमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाले नियमों के नियम 3(i) के तहत प्रदान किये जाते हैं और परिणामत: नियम 5(क) के तहत अनुमेय विशेष भत्ता दिनांक 30-05-2007 से इसके साथ देय होगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

संख्या 6-प्रेज/2009-राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करती हैं :-

श्री ज्ञान प्रकाश सिंह
फायरमैन

श्री बिन्देश्वरी प्रसाद त्रिपाठी
फायरमैन

दिनांक17/5/2003 को अग्निशमन केन्द्र, सिविल लाइन्स इलाहाबाद के नियत्रंण कक्ष में सूचना मिली कि संत निरंकारी भवन के पास 64, बैरहाना, में स्थित वैल्डिंग वर्कशॉप से गैस का रिसाव हो रहा है और क्षेत्र के बहुत से लोग प्रभावित हुये हैं। सूचना मिलते ही तुरन्त द्वितीय अग्निशमन अधिकारी अपने दस्ते के साथ घटना स्थल के लिए रवाना हुए।

2. मौके पर पहुँचने पर द्वितीय अग्निशमन अधिकारी ने पाया कि वर्कशॉप के अन्दर सिलेन्डर से भारी मात्रा में एसीटीलेन गैस रिसाव हो रही है जिससे क्षेत्र में दहशत फैली हुई है। उन्होनें अग्निशमन दस्ते को तुरन्त वर्कशॉप में प्रवेश कर रिसाव को बन्द करने का निर्देश दिया। जान की परवाह न करते हुए, श्री ज्ञान प्रकाश सिंह तथा बिन्देश्वरी प्रसाद त्रिपाठी फायर हौज लाइन लेकर वर्कशॉप के अन्दर घुस गये और नोजल से पानी का छिड़काव करते रहे ताकि सिलेंडर में आग न लग जाये और किसी तरह विस्फोट को रोका जाए। उन्होनें सिलेंडर वाल्व को बन्द करने का भी भरसक प्रयास किया किन्तु कुछ तकनीकी खराबी के कारण वाल्व को पूरी तरह बन्द नहीं कर पाये। फिर भी गैस रिसाव तथा इसके परिणामों के बारे में जानते हुए भी उन्होनें रिसाव हो रहे गैस के सिलेन्डर को उठाया और सुरक्षित स्थान पर ले गये। इस कार्य को करते समय श्री ज्ञान प्रकाश सिंह तथा बिन्देश्वरी प्रसाद त्रिपाठी गैस सूँघने से बेहोश हो गये और उपचार हेतु उन्हें अस्पताल ले जाया गया।

3. इस प्रकार सर्व श्री ज्ञान प्रकाश सिंह, फायर मैन तथा बिन्देश्वरी प्रसाद त्रिपाठी, फायर मैन ने उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस, व्यवसायिक कुशलता और उच्च कोटि की कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

4. यह पुरस्कार, वीरता के लिए अग्नि शमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाली नियमावली के नियम 3(i) के तहत प्रदान किये जाते हैं और परिणामत: नियम 5(क) के तहत अनुमेय विशेष भत्ता दिनांक 17-05-2003 से इसके साथ देय होगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

संख्या 7-प्रेज/2009 - राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस, 2009 के अवसर पर श्री गोलक बिहारी मोहन्ती, अधीक्षक, बीजू पटनायक ओपन एयर आश्रम, जमुझारी, उड़ीसा को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक सहर्ष प्रदान करती हैं।

2. यह पुरस्कार विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान किए जाने को शासित करने संबंधी नियमों के नियम 4 के अन्तर्गत प्रदान किया जाता है।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

संख्या 8-प्रेज/2009--राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस, 2009 के अवसर पर निम्नलिखित जेल कार्मिकों को सराहनीय सेवा के लिए सुधारात्मक सेवा पदक सहर्ष प्रदान करती हैं :--

श्री के.एल. श्रीनिवास राव
उप जेल अधीक्षक
जिला जेल, महबूब नगर
आंध्र प्रदेश

श्री पी. जनार्दन रेड्डी
उप जेल अधीक्षक
केन्द्रीय कारागार, चेरलापल्ली
आंध्र प्रदेश

श्री जेम्स बारा
जेल अधीक्षक
जिला जेल, रायगढ़
छत्तीसगढ़

श्री बलदेव राज कक्कड़
अधीक्षक
जिला जेल, धर्मशाला
हिमाचल प्रदेश

श्री शंकरानंद एन. हुल्लर
सहायक अधीक्षक
केन्द्रीय जेल, बेलारी
कर्नाटक

श्री डी.एम. मुड्डेगौडा
हेड वार्डर
जिला कारागार, रामनगर
कर्नाटक

श्री ई.वी. हरिदासन
सहायक जेलर, ग्रेड-I
मुक्त कारागार, चीमेनी
केरल

श्री मेडन अय्यर
अधीक्षक
जिला जेल, मोकोचुंग
नागालैंड

श्री सनातन स्वैन
क्षेत्रीय परिवीक्षा अधिकारी
बेरहामपुर
उड़ीसा

श्री त्रिलोचन नायक
वार्डर
बारीपाडा सर्कल जेल
उड़ीसा

श्री एन. कामराज
सहायक जेलर
उप-जेल, संकारी
तमिलनाडु

श्री एम. थंगराज
मुख्य हेड वार्डर
उप जेल पेरम्बालूर
तमिलनाडु

2. ये पुरस्कार, सराहनीय सेवा के लिए सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान किए जाने को शासित करने वाले नियमों के नियम 4(iii) के तहत प्रदान किया जाता है।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

वस्त्र मंत्रालय

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय

नई दिल्ली-110066, दिनांक 3 फरवरी 2009

संकल्प

संख्या के–12012/5/16/2008-पीएण्डआर-1395--पुर्नगठित अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की अवधि को संकल्प सं0 के–12012/5/16/2006–पीएण्डआर, दिनांक 06 अक्टूबर 2008 द्वारा अगले 2 वर्षों के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया गया था। भारत सरकार ने अब श्री टी. रामाराव, मकान नं0 64–63–बी17ए, सरीबलसाइ निल्याम, फोर्ट, कर्नुल, आंध्र प्रदेश को अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के गैर सरकारी सदस्य के रुप में शामिल करने का निर्णय लिया है जबकि संकल्प दिनांक 6 अक्टूबर, 2008 संकल्प दिनांक 7 अक्टूबर, 2008, 22 अक्टूबर, 2008, 24 अक्टूबर, 2008, 29 अक्टूबर, 2008, 6 नवम्बर, 2008, 12 नवम्बर, 2008, 26 नवम्बर, 2008, 18 दिसम्बर, 2008, 29 दिसम्बर, 2008 एवं 13 जनवरी, 2009 के द्वारा वर्धित समयावधि में मौजूदा अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के सभी सरकारी एवं गैर–सरकारी सदस्य यथावत बने रहेंगे।

अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के गैर सरकारी सदस्य के रुप में श्री टी. रामाराव को शामिल करते हुए पुर्नगठित अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड में अध्यक्ष, सदस्य सचिव सहित 24 सरकारी सदस्यों तथा 75 गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करते हुए बोर्ड की वर्तमान संख्या 100 सदस्य हो जाएगी।

तथापि, 8 सितम्बर, 2006 के संकल्प में दर्ज अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें वहीं रहेंगी तथा उनके कोई परिवर्तन नहीं होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधितों को प्रेषित की जाए तथा इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

(डॉ.) संदीप श्रीवास्तव

अपर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)

दिनांक 9 फरवरी 2009

संकल्प

संख्या के–12012/5/16/2008–पीएण्डआर–1401––पुर्नगठित अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की अवधि को संकल्प सं0 के–12012/5/16/2006–पीएण्डआर, दिनांक 06 अक्टूबर 2008 द्वारा अगले 2 वर्षों के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया गया था। भारत सरकार ने अब **श्री एस.के. चौधरी, 181, श्री नीकेतन, प्लाट नं01, सैक्टर–7, नई दिल्ली एवं श्रीमती सरीता दहिया, 563, नव संसद विहार, प्लाट नं0 4, सैक्टर–22, द्वारका, नई दिल्ली** को अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के गैर सरकारी सदस्य के रुप में शामिल करने का निर्णय लिया है जबकि संकल्प दिनांक 6 अक्टूबर, 2008 संकल्प दिनांक 7 अक्टूबर, 2008, 22 अक्टूबर, 2008, 24 अक्टूबर, 2008, 29 अक्टूबर, 2008, 6 नवम्बर, 2008, 12 नवम्बर, 2008, 26 नवम्बर, 2008, 18 दिसम्बर, 2008, 29 दिसम्बर, 2008, 13 जनवरी, 2009 एवं 3 फरवरी 2009 के द्वारा वर्धित समयावधि में मौजूदा अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के सभी सरकारी एवं गैर–सरकारी सदस्य यथावत बने रहेंगे।

अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के गैर सरकारी सदस्य के रुप में श्री टी. रामाराव को शामिल करते हुए पुर्नगठित अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड में अध्यक्ष, सदस्य सचिव सहित 24 सरकारी सदस्यों तथा 77 गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करते हुए बोर्ड की वर्तमान संख्या 102 सदस्य हो जाएगी।

तथापि, 8 सितम्बर, 2006 के संकल्प में दर्ज अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें वहीं रहेंगी तथा उनके कोई परिवर्तन नहीं होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधितों को प्रेषित की जाए तथा इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

(डॉ.) संदीप श्रीवास्तव
अपर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 2009

सं. एफ. 9-31/2006-यू. 3 (ए)—

जबकि केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत किसी उच्चतर शिक्षा संस्था को 'समविश्वविद्यालय' घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर, श्री सिद्धार्थ उच्चतर शिक्षा अकादमी, सिद्धार्थनगर, जिला तुम्कुर, कर्नाटक जिसमें (i) श्री सिद्धार्थ चिकित्सा कॉलेज, अगलकोट, तुम्कुर और (ii) श्री सिद्धार्थ दंत चिकित्सा कॉलेज, अगलकोट, तुम्कुर शामिल है, को दिनांक 30 मई, 2008 को इस मंत्रालय की समसंख्यक अधिसूचना के माध्यम से उपर्युक्त अधिनियम के उद्देश्यार्थ एक 'सम-विश्वविद्यालय संस्था' के रूप में घोषित किया गया था, जो इन दो कॉलेजों के उनके संबद्ध विश्वविद्यालय अर्थात् राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर से असंबद्ध होने की तारीख से प्रभावी होगा;

3. और जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने श्री सिद्धार्थ प्रौद्योगिकी संस्थान, तुम्कुर को श्री सिद्धार्थ उच्चतर शिक्षा अकादमी, सिद्धार्थनगर 'सम-विश्वविद्यालय संस्था' के विस्तार क्षेत्र में शामिल करने के मुद्दे पर अलग से जांच-पड़ताल की है, तथा दिनांक 23.09.2008 के अपने पत्र संख्या एफ. 26-4/2007 (सीपीपी-I/डीयू) के माध्यम से यह सिफारिश की है कि श्री सिद्धार्थ प्रौद्योगिकी संस्थान को श्री सिद्धार्थ उच्चतर शिक्षा अकादमी के विस्तार क्षेत्र में श्री सिद्धार्थ उच्चतर शिक्षा अकादमी की एक इकाई के रूप में शामिल किया जाए;

4. इसलिए अब केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह से श्री सिद्धार्थ प्रौद्योगिकी संस्थान, मरालूर, तुम्कुर (कर्नाटक) को उपर्युक्त अधिनियम के उद्देश्यार्थ श्री सिद्धार्थ उच्चतर शिक्षा अकादमी, सिद्धार्थनगर, जिला-तुम्कुर, कर्नाटक की एक बाह्य-परिसर शिक्षण इकाई घटक के रूप में शामिल करती है, तथा यह उस दिनांक से प्रभावी होगा जिस दिनांक को श्री सिद्धार्थ प्रौद्योगिकी संस्थान को अपने संबद्ध विश्वविद्यालय अर्थात विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बेलगाम, कर्नाटक से असंबद्ध घोषित किया जाता है;

5. वे सभी शर्तें जिन्हें मंत्रालय की दिनांक 30.05.2008 की समसंख्यक अधिसूचना में निर्धारित किया गया था तथा जिनके द्वारा श्री सिद्धार्थ उच्चतर शिक्षा अकादमी के 'सम-विश्वविद्यालय' के दर्जे को संचालित किया जाता है, वे सभी लागू रहेगी तथा उनकी अनुपालना की जाएगी;

6. उपर्युक्त पैरा 4 में की गई घोषणा इस अधिसूचना के पृष्ठांकन की क्रम संख्या 5 में उल्लिखित अन्य शर्तों को पूरा करने की शर्त के विषयाधीन है;

7. न तो भारत सरकार और न ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग श्री सिद्धार्थ उच्चतर शिक्षा अकादमी को या इसकी घटक शिक्षण ईकाइयों को योजनागत अथवा योजनेतर सहायता अनुदान प्रदान करेंगे।

सुनिल कुमार

संयुक्त सचिव

सं. एफ. 9-48/2005-यू. 3--

जबकि केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत किसी उच्चतर शिक्षा संस्था को ''समविश्वविद्यालय'' घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि विगनान विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान प्रतिष्ठान, वदलामुडी, गुंटुर जिला, आंध्र प्रदेश से '''सम-विश्वविद्यालय' का दर्जा प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था;

3. और जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उक्त प्रस्ताव की जांच की है और दिनांक 13.06.2008 के अपने पत्र एफ. संख्या 6-23/2005 (सीपीपी-I) के माध्यम से विगनान विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान प्रतिष्ठान, वदलामुडी, गुंटुर जिला, आंध्र प्रदेश जिसमें विज्ञान इंजीनियरिंग कॉलेज भी शामिल है को 'सम-विश्वविद्यालय' का दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने संस्थान के निष्पादन की पाँच वर्षों के बाद समीक्षा करने की भी सिफारिश की है;

4. इसलिए अब, केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह से निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनन्तिम रूप से पाँच वर्षों की अवधि के लिए उपर्युक्त अधिनियम के उद्देश्यार्थ विगनान विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान प्रतिष्ठान, वदलामुडी, गुंटुर जिला, आंध्र प्रदेश को एतद् द्वारा ''सम-विश्वविद्यालय संस्था'' घोषित करती है:

(i) विगनान विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान प्रतिष्ठान अपनी घटक शिक्षण इकाई के रूप में केवल विगनान इंजीनियरिंग कॉलेज, वदलामुडी (छेबरोलू मंडल), गुंटुर जिला, आंध्र प्रदेश को ही रखेगा।

(ii) विगनान विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान प्रतिष्ठान विगनान इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा अपने संबंधन विश्वविद्यालय अर्थात जवाहर लाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हैदराबाद से संबंधन समाप्त होने की तारीख से ही ''सम-विश्वविद्यालय संस्था'' होगा।

(iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत की गई उपर्युक्त घोषणा में लावू शिक्षा सोसायटी, बरोडिपेट, गुंटुर, आंध्र प्रदेश द्वारा स्थापित एवं संचालित अन्य शिक्षण संस्थानों/कॉलेजों को शामिल नहीं किया जाएगा। इन संस्थानों/कॉलेजों का लावू शिक्षा सोसायटी द्वारा प्रबंधन एवं संचालन करना जारी रखा जाएगा।

(iv) उपर्युक्त की गई घोषणा में विगनान इंजीनियरिंग कॉलेज के केवल वे ही अकादमिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम शामिल होंगे जिनको अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने अनुमोदित कर दिया है तथा वे जो वर्तमान में जवाहर लाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से संबंध है।

(v) विगनान विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान प्रतिष्ठान के निष्पादन की पांच वर्षों की अवधि के बाद समीक्षा की जाएगी।

(vi) विगनान विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान प्रतिष्ठान को प्रदान किए गए समविश्वविद्यालय के दर्जे की तथा संबंधित संस्थान के संपूर्ण निष्पादन की समीक्षा पाँच वर्षों की अवधि के बाद विशेषज्ञ समिति के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की जाएगी।

5. विगनान विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान प्रतिष्ठान को प्रदान किए गए दर्जे की पाँच वर्षों की अवधि के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विशेषज्ञ समिति के माध्यम से की गई समीक्षा और इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुष्टि की जाएगी।

6. उपर्युक्त पैरा 4 में की गई घोषणा इस अधिसूचना के पृष्ठांकन की कम संख्या 6 में उल्लिखित अन्य शर्तों को पूरा करने/उनका अनुपालन करने की शर्त के भी अधीन है।

7. न तो भारत सरकार और न ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विगनान विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान प्रतिष्ठान एवं इसकी घटक इकाइयों को कोई योजनागत अथवा योजनेतर सहायता अनुदान प्रदान करेंगे।

सुनिल कुमार
संयुक्त सचिव

सं. एफ. 9-57/2007-यू. 3 (ए)--

जबकि केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत किसी उच्चतर शिक्षा संस्था को 'समविश्वविद्यालय' घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, श्री भगवान महावीर जैन शिक्षा और संस्कृति न्यास, बंगलौर, कर्नाटक से विद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत श्री भगवान महावीर जैन कॉलेज, बंगलौर को ''जैन-विश्वविद्यालय'', के नाम और स्वरूप से ''सम-विश्वविद्यालय'' घोषित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था;

3. और जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उक्त प्रस्ताव की से जांच की है, तथा अपने दिनांक 13.06.2008 के पत्र संख्या एफ. 26-19/2007 (सीपीपी-I/डीयू) के जरिए श्री महावीर जैन कॉलेज, बंगलौर वाले जैन विश्वविद्यालय, बंगलौर को 'सम-विश्वविद्यालय' का दर्जा प्रदान करने के लिए सिफारिश की है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि पांच वर्षों के बाद इस संस्थान के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की जाएगी;

4. इसलिए अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि उपर्युक्त अधिनियम के उद्देश्यार्थ ''जैन विश्वविद्यालय जो पंजीकृत न्यास है'' पांच वर्षों की अवधि के लिए अनंतिम रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन ''सम-विश्वविद्यालय संस्था'' होगा;

(i) 'जैन-विश्वविद्यालय' अपनी शिक्षण इकाई के रूप में श्री भगवान महावीर जैन कॉलेज, 91/2, डॉ. ए.एन. कृष्णा राव रोड, वी.वी. पुरम, बंगलौर को शामिल करेगा;

(ii) जैन विश्वविद्यालय पिछले संबंधन विश्वविद्यालय अर्थात बंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलौर से श्री भगवान महावीर जैन कॉलेज का संबंधन समाप्त होने की तारीख से ''सम-विश्वविद्यालय संस्था'' होगा।

(iii) उपर्युक्त घोषणा में श्री भगवान महावीर जैन कॉलेज, वी.वी.पुरम, बंगलौर के केवल उन्हीं अकादमिक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों को शामिल किया जाएगा जो इस समय बंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलौर से संबद्ध है।

(iv) उपर्युक्त घोषणा का श्री भगवान महावीर जैन कॉलेज, प्रथम कास, जे.सी. रोड, बंगलौर स्थित शाखा, श्री भगवान महावीर जैन इंजीनियरी कॉलेज, जक्कासंद्रा डाकखाना, कंकरपुरा तालुक, बंगलौर, श्री भगवान महावीर जैन सांध्य कॉलेज और एमएटीएस प्रबंधन और उद्यमिता संस्थान जक्कासंद्रा डाकखाना, कंकरपुरा तालुक, बंगलौर सहित जैन विश्वविद्यालय वी.वी.पुरम, बंगलौर के परिसर के भीतर अथवा इसके बाहर स्थित श्री भगवान महावीर जैन शिक्षा और संस्कृति न्यास, बंगलौर द्वारा स्थापित अथवा संचालित किसी अन्य शिक्षण संस्था को शामिल करने के लिए विस्तार नहीं किया जाएगा।

(v) "जैन विश्वविद्यालय" को प्रदान किए गए 'सम-विश्वविद्यालय' दर्जे को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पांच वर्षों के बाद विशेष समिति के माध्यम से समीक्षा करेगा।

5. "जैन विश्वविद्यालय" को प्रदान किए गए 'सम-विश्वविद्यालय' दर्जे की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पांच वर्षों के बाद विशेषज्ञ समिति के माध्यम से की गई समीक्षा और इसके संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश के आधार पर पुष्टि की जाएगी;

6. उपर्युक्त पैरा 4 में की गई उपर्युक्त घोषणा इस अधिसूचना के पृष्ठांकन की क्रम संख्या 4 पर उल्लिखित शर्तों को पूरा करने/इनका अनुपालन करने के भी अधीन है;

7. न तो भारत सरकार और न ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैन विश्वविद्यालय अथवा इसकी संघटक इकाई को कोई योजनागत अथवा योजनेतर अनुदान प्रदान करेगी।

सुनिल कुमार
संयुक्त सचिव.

दिनांक 5 जनवरी 2009

सं. एफ. 9-23/2005-यू. 3--

जबकि केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत किसी उच्चतर शिक्षा संस्था को ''समविश्वविद्यालय'' घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि लिंगाया प्रबंधन और प्रौद्योगिकी संस्थान, फरीदाबाद से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत 'सम-विश्वविद्यालय' संस्था घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था;

3. और जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उक्त प्रस्ताव की जांच की है और दिनांक 13 अगस्त, 2008 के अपने पत्र एफ. संख्या 6-32/2006 (सीपीपी-I) के जरिए लिंगाया प्रबंधन और प्रौद्योगिकी संस्थान, फरीदाबाद को पांच वर्षों के बाद समीक्षा किए जाने की शर्त के अधीन 'समविश्वविद्यालय' संस्था घोषित करने की सिफारिश की है;

4. इसलिए अब केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह से पाँच वर्षों के बाद समीक्षा किए जाने की शर्त के अधीन उपर्युक्त अधिनियम के उद्देशार्थ 'लिंगाया विश्वविद्यालय' के नाम से लिंगाया प्रबंधन और प्रौद्योगिकी संस्थान, फरीदाबाद को अपने संबंधन विश्वविद्यालय अर्थात महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा से संबंधन समाप्त होने की तारीख से एतद्द्वारा ''सम-विश्वविद्यालय '' संस्था घोषित करती है;

5. लिंगाया प्रबंधन और प्रौद्योगिकी संस्थान, फरीदाबाद को प्रदान किए गए 'सम-विश्वविद्यालय' संस्था दर्जे की पांच वर्ष की अवधि के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विशेषज्ञ समिति के माध्यम से की गई समीक्षा और इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश के आधार पर पुष्टि की जाएगी।

6. उपर्युक्त पैरा 4 में की गई घोषणा इस अधिसूचना के पृष्ठांकन की क्रम संख्या 4 में उल्लिखित अन्य शर्तों को पूरा करने/इनका अनुपालन करने की शर्त के भी अधीन है।

7. न तो भारत सरकार और न ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग लिंगाया प्रबंधन और प्रौद्योगिकी संस्थान, फरीदाबाद को कोई योजनागत अथवा योजनेतर अनुदान प्रदान करेगा।

सुनिल कुमार
संयुक्त सचिव

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 2009

सं. ईआरबी-I/2007/23/5-

संकल्प

श्री मो. इलियास हुसैन, पूर्व मंत्री, बिहार सरकार की अध्यक्षता के अधीन यात्री सुविधा समिति पुनर्गठित करने संबंधी रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के 05.02.2007, 12.02.2007, 15.02.2007 एवं 14.10.2008 के समसंख्यक संकल्पों के आगे, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने विनिश्चय किया है कि पूर्वोक्त समिति के कार्यकाल को बोर्ड के 15.02.2007 के समसंख्यक आदेश में अंतर्विष्ट किए गए मौजूदा निबंधनों एवं शर्तों पर 04.02.2009 से आगे 2 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाई जाए।

2. रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने यह भी विनिश्चय किया है कि श्री विशन देव राय, पूर्व सदस्य विधान परिषद्, गांव-दिग्घी खुर्द, पोस्ट-दिग्घी कला (पूर्व), थाना-हाजीपुर सदर, जिला-वैशाली, बिहार-844 101 यात्री सुविधा समिति के मौजूदा गठन में एक सदस्य के रूप में भी कार्य करेंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

बी. के. मिंज़
संयुक्त सचिव (राजपत्रित)
रेलवे बोर्ड

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 26th January, 2009

No. 3-Pres/2009—The President is pleased on the occasion of the Republic Day, 2009 to award the President's Fire Service Medal for Distinguished Service to the under mentioned officers:—

SHRI ANNE GOWDA
REGIONAL FIRE OFFICER
KARNATAKA

SHRI ASHOKANAGAR LOKESH
ASST. FIRE STATION OFFICER
KARNATAKA

SHRI RAZAK MIYAN
ASST. FIRE STATION OFFICER
KARNATAKA

SHRI KAIBALYA CHARAN DAS
DY. FIRE OFFICER
ORISSA

SHRI PRANVINDRA KUMAR RAO
COMDT. FIRE SERVICE
UTTAR PRADESH

SHRI SANJIB ROY
HEAD CONSTABLE/FIRE
CISF, MHA

2. These awards are made under Rule 3(ii) of the rules governing the award of President's Fire Service Medal for Distinguished Service.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 4-Pres/2009—The President is pleased on the occasion of the Republic Day, 2009 to award the Fire Service Medal for Meritorious Service to the under mentioned officers:—

SHRI RAM CHANDRA BHAKAT
SENIOR STATION OFFICER
ASSAM

SHRI KHAGENDRA NATH MEDHI
STATION OFFICER
ASSAM

SHRI DEBENDRA NATH SARMAH
SUB OFFICER
ASSAM

SHRI MOHAN CHANDRA KALITA
LEADING FIREMAN
ASSAM

SHRI NABA BHATTACHARJEE
FIREMAN
ASSAM

SHRI POAL KATHAR
DRIVER
ASSAM

SHRI SOHAN SINGH VERMA
SUB FIRE OFFICER
HIMACHAL PRADESH

SHRI HARI SINGH NEGI
SUB FIRE OFFICER
HIMACHAL PRADESH

SHRI DEVINDER SINGH JHOUTA
FIREMAN
HIMACHAL PRADESH

SHRI K. CHANDRANATH
FIRE STATION OFFICER
KARNATAKA

SHRI K. NAGARAJU
FIRE STATION OFFICER
KARNATAKA

SHRI S. T. NAGARAJ
ASST. FIRE STATION OFFICER
KARNATAKA

SHRI K. SHEKHAR KOTARI
ASST. FIRE STATION OFFICER
KARNATAKA

SHRI G. RANGASWAMY
LEADING FIREMAN
KARNATAKA

SHRI BHOYA NAGAMUNI
FIREMAN
KARNATAKA

SHRI M. HANUMANTHAIAH
FIREMAN
KARNATAKA

SHRI BOLAR LOKESH
FIREMAN DRIVER
KARNATAKA

SHRI SYED TAJUDDIN
FIREMAN DRIVER
KARNATAKA

SHRI K. L. JAGANNATHACHARI
DRIVER MECHANIC
KARNATAKA

SHRI PRASAD RAMA KAIMAL
ASST. DIVISIONAL OFFICER
KERALA

SHRI DHARANI DHAR NATH
ASST. STATION OFFICER
ORISSA

SHRI PARSU RAM BARIK
LEADING FIREMAN
ORISSA

SHRI FANINDRA NAYAK
FIREMAN
ORISSA

SHRI LAXMAN KUMAR BEHERA
FIREMAN
ORISSA

SHRI SRIMANTA SEKHAR PANDA
FIREMAN
ORISSA

SHRI AKHTAR SAYEED
FIREMAN
RAJASTHAN

SHRI RAM KARAN YADAV
FIREMAN
RAJASTHAN

SHRI HANUMAN SAHAI BUNKAR
FIREMAN
RAJASTHAN

SHRI B. NANDAGOPAL
DIVISIONAL OFFICER
TAMILNADU

SHRI T. PADMAKUMAR
ASST. DIVISIONAL OFFICER
TAMILNADU

SHRI R. KANDASAMY
LEADING FIREMAN
TAMILNADU

SHRI P. VISWANATHAN
DRIVER MECHANIC
TAMILNADU

SHRI S. SUBRAMANIAN
FIREMAN DRIVER
TAMILNADU

SHRI A. RAHAMADULLAH
FIREMAN
TAMILNADU

SHRI A. KULANDAIRAJ
FIREMAN
TAMILNADU

SHRI P. M. UNNIKRISHNAN
FIREMAN
TAMILNADU

SHRI ANAND PAL SINGH
FIRE STATION OFFICER
UTTAR PRADESH

SHRI RAJENDRA TIWARI
FIRE STATION OFFICER
UTTAR PRADESH

SHRI ASHOK KUMAR
FIRE STATION OFFICER
UTTAR PRADESH

SHRI VAKEEL AHMAD
FIREMAN
UTTAR PRADESH

SHRI NETAI CHATTOPADHYAYA
STATION OFFICER
WEST BENGAL

SHRI JYOTIRMOY ROY
SUB OFFICER
WEST BENGAL

SHRI BISHNU PRASAD DHAR
SUB OFFICER
WEST BENGAL

SHRI BIRENDRA NATH RAM
LEADER
WEST BENGAL

SHRI ATAUL HAQUE
LEADER
WEST BENGAL

SHRI DEBABRATA DAS
FIRE OPERATOR
WEST BENGAL

SHRI PRASANTA CHAKRABARTY
FIRE OPERATOR
WEST BENGAL

SHRI DHANANJAY N. PATIL
MANAGER (FIRE SERVICE)
M/O PET. & NATURAL GAS

SHRI GHANSHYAM DAS SAINI
MANAGER (FIRE SERVICE)
M/O PET. & NATURAL GAS

SHRI SONESWAR GOGOI
ASST. CHIEF INSPECTOR (FIRE)
M/O PET. & NATURAL GAS

2. These awards are made under Rule 3(ii) of the rules governing the award of Fire Service Medal for Meritorious Service.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 5-Pres/2009- The president is pleased to award the President's Fire Service Medal for Gallantry to the under-mentioned officers of Uttar Pradesh Fire Service: -

SHRI DEVI PRASAD SHUKLA
CHIEF FIRE OFFICER

SHRI SHIV DARAS PRASAD
FIRE STATION OFFICER

SHRI VIRENDRA PRATAP SINGH
FIRE STATION OFFICER

SHRI SATENDRA SINGH
LEADING FIREMAN

SHRI SARDAR KHAN
FIREMAN

SHRI RAJPAL
FIREMAN

On 30th May, 2007 at 1710 Hrs, a call was received in the Control Room of Fire Brigade informing that fire has broken out in a commercial complex on Mall road, Kanpur. Immediately on receipt of call fire tenders were rushed to the spot from Latouche Road and Mirpur Cantonment fire stations. The fire crew while on way to the fire scene saw a huge ball of smoke coming out from that area. Realizing the situation the officer-in-charge asked the control room for responding senior officer and more fire tenders on the fire scene.

2. On arrival, Shri D. P. Shukla, Chief Fire Officer observed that the fire is spreading fast on all the floors of City Center building. People were running out for safety. He instructed the fire crews to start fire fighting and rescue operation. It was difficult to stay there due to smoke and hot gases all-round. Risking their lives Shri D. P. Shukla, Chief Fire Officer alongwith S/Shri Shiv Daras Prasad, Fire Station Officer, Virendra Pratap Singh, Fire Station Officer, Satendra Singh, Leading Fireman, Sardar Khan, Fireman and Rajpal, Fireman, climbed the adjoining "Heer Palace" building and made an improvised bridge with the help of extension ladders and ropes in between Heer Palace and City Centre building. They crawled and with great difficulty could make forced entry into the fourth and fifth floor and safely rescued Archana Nigam, Mahesh Verma, Sachin, Sunil Sharma, Amit Gupta, Habib Ullah, Nasir, Ramesh Srivastava, Rajbir Singh one by one.

3. S/Shri Devi Prasad Shukla, Chief Fire Officer, Shiv Daras Prasad, Fire Station Officer, Virendra Pratap Singh, Fire Station Officer, Satendra Singh, Leading Fireman, Sardar Khan, Fireman and Rajpal, Fireman, thus displayed conspicuous gallantry, exemplary courage, leadership, professional expertise and devotion to duty of a very high order.

4. These awards are made for gallantry under Rule 3(i) of the Rules governing the award of President's Fire Service Medal for Gallantry and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5(a) w.e.f 30.05.2007

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 6-Pres/2009- The president is pleased to award the Fire Service Medal for Gallantry to the under-mentioned officers of Uttar Pradesh Fire Service: -

SHRI GYAN PRAKASH SINGH
FIREMAN

SHRI VINDESHWARI PRASAD TRIPATHI
FIREMAN

On 17th May, 2003 at 1730 hrs a call was received in the control room of Fire Station, Civil Lines, Allahabad informing that gas is leaking from a welding workshop located at 64, Bairahana, near Sant Nirankari Bhawan and thereby affecting many people in the area. Immediately on receipt of call 2nd Fire Officer along with fire crews rushed to the spot.

2. On reaching there 2nd Fire Officer observed that acetylene gas is leaking from a cylinder inside the workshop causing panic in the area. He directed the crew to enter the workshop and stop the leakage. Endangering their own lives, Fireman S/Shri Gyan Prakash Singh and Vindeshwari Prasad Tripathi went inside the workshop with charged fire hose and water spray nozzles and continued diluting the leaking gas to prevent the possibility of fire resulting in explosion of the cylinder. Both of them tried to close the valve but partially succeeded due to its malfunction. Realizing the cause and consequences of leaking gas they lifted leaking cylinder and removed to safe location. Both of them fell unconscious due to inhalation of gas and were removed to the hospital for treatment.

3. S/Shri Gyan Prakash Singh, Fireman and Vindeshwari Prasad Tripathi, Fireman, thus displayed conspicuous gallantry, exemplary courage, professional expertise and devotion to duty of a very high order.

4. These awards are made for gallantry under Rule 3(i) of the Rules governing the award of Fire Service Medal for Gallantry and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5(a) w.e.f 17.05.2003.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 7–Pres/2009 – The President is pleased, on the occasion of the Republic Day, 2009 to award the President's Correctional Service Medal for Distinguished Service to Shri Golak Bihari Mohanty, Superintendent, Biju Patnaik Open Air Ashram, Jamujhari, Orissa.

2. This award is made under rule 4 of the rules governing the grant of President's Correctional Service Medal for Distinguished Service.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 8-Pres/2009—The President is pleased on the occasion of the Republic Day, 2009 to award the Correctional Service Medal for Meritorious Service to the following prison personnel:—

SHRI K.L. SREENIVASA RAO
DEPUTY SUPERINTENDENT OF JAILS
DISTRICT JAIL, MAHABOOBNAGAR
ANDHRA PRADESH

SHRI P. JANARDHANA REDDY
DEPUTY SUPERINTENDENT OF JAILS
CENTRAL PRISON, CHERLAPALLI
ANDHRA PRADESH

SHRI JAMES BARA
JAIL SUPERINTENDENT
DISTRICT JAIL, RAIGARH
CHHATTISGARH

SHRI BALDEV RAJ KAKKAR
SUPERINTENDENT
DISTRICT JAIL, DHARMSALA
HIMACHAL PRADESH

SHRI SHANKARANAND N. HULLUR
ASSISTANT SUPERINTENDENT
CENTRAL PRISON, BELLARY
KARNATAKA

SHRI D.M. MUDDEGOWDA
HEAD WARDER
DISTRICT PRISON, RAMNAGAR
KARNATAKA

SHRI E.V. HARIDASAN
ASSISTANT JAILOR, GRADE-I
OPEN PRISON, CHEEMENI
KERALA

SHRI MEDEM AIER
SUPERINTENDENT
DISTRICT JAIL, MOKAKCHUNG
NAGALAND

SHRI SANATAN SWAIN
REGIONAL PROBATION OFFICER
BERHAMPUR
ORISSA

SHRI TRILOCHAN NAIK
WARDER
BARIPADA CIRCLE JAIL
ORISSA

SHRI N. KAMARAJ
ASSISTANT JAILOR
SUB-JAIL, SANKARI
TAMIL NADU

SHRI M. THANGARAJ
CHIEF HEAD WARDER
SUB JAIL, PERAMBALUR
TAMIL NADU

2. These awards are made under Rule 4(iii) of the rules governing the grant of Correctional Service Medal for Meritorious Service.

BARUN MITRA
Joint Secy.

MINISTRY OF TEXTILES
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER (HANDICRAFTS)

New Delhi-110066, the 3rd February 2009

RESOLUTION

No. K-12012/5/16/2008-P&R/1395—.

The term of the reconstituted All India Handicrafts Board (AIHB) was extended for a period of two years, or till further orders, whichever is earlier, vide Resolution No. K-12012/5/16/2006-P&R dated 6th October, 2008. The Government of India has now decided to induct **Shri T. Ramarao, H.No. 64-43-B17A, Sribalasai Nilayam, Fort, Kurnool, Andhra Pradesh -518001, as Non Official Member of the AIHB,** while retaining all officials and non official members of the existing AIHB extended term vide Resolution dated 6th October 2008, Resolutions dated 7th October 2008, 22nd October 2008, 24th October 2008, 29th October 2008, 6th November 2008, 12th November 2008, 26th November 2008, 18th December 2008, 29th December 2008 & 13th January 2009.

With the above inclusion of **Shri T. Ramarao** as Non Official Member of the AIHB, the present strength of the Board shall be **100** Members, comprising of Chairman, **24** Official Members, including Member Secretary and **75** Non-Official Members, in the reconstituted All India Handicrafts Board.

All other terms and conditions recorded in the Resolution dated 8th September 2006 will, however, remain same and unchanged.

ORDER

Ordered that a copy of this resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India.

Dr. SANDEEP SRIVASTAVA
Addl. Development Commissioner (Handicrarts)

The 9th February 2009

RESOLUTION

No. K-12012/5/16/2008-P&R/1401—

The terms of the reconstituted All India Handicrafts Board (AIHB) was extended for a period of two years, or till further orders, whichever is earlier, vide Resolution No. K-12012/5/16/2006-P&R dated 6th October, 2008. The Government of India has now decided to induct **Sh. S.K.Choudhary, 181, Shri Niketan, Plot No.1, Sector-7, New Delhi & Smt. Sarita Dahiya, 563, Nav Sansad Vihar, Plot No.4, Sector-22, Dwarka, New Delhi as Non Official Member of the AIHB**, while retaining all officials and non official members of the existing AIHB extended term vide Resolution dated 6th October 2008, Resolution dated 7th October 2008, 22nd October, 2008, 24th October 2008, 29th October 2008, 6th Noveber 2008, 12th November 2008, 22nd November 2008, 18th December 2008, 29th December 2008, 13th January 2009 & 3rd February 2009.

With the above inclusion of **Sh. S.K.Choudhary & Smt. Sarita Dahiya** as Non Official Member of the AIHB, the present strength of the Board shall be **102** Members, comprising of Chairman, **24** Official Members, including Member Secretary and **77** Non-Official Members, in the reconstituted All India Handicrafts Board.

All other terms and conditions recorded in the Resolution and 8th September 2006 will, however, remain same and unchanged.

ORDER

Ordered that a copy of this resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India.

Dr. SANDEEP SRIVASTAVA
Addl. Development Commissioner (Handicrarts)

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 30th January 2009

No. F. 9-31/2006-U.3(A)—

Whereas the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an institution of higher learning as a deemed-to-be-university;

2. And whereas, on the advice of the UGC, Sri Siddhartha Academy of Higher Education, Siddharthanagar, Tumkur District, Karnataka, comprising (i) Sri Siddhartha Medical College, Agalakote, Tumkur and (ii) Sri Siddhartha Dental College, Agalakote, Tumkur, was declared as an 'Institution Deemed-to-be-University' for the purposes of the aforesaid Act, vide this Ministry's notification of even number dated the 30th May, 2008, with effect from the date of disaffiliation of these two Colleges from their affiliating university, viz., Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bangalore;

3. And whereas, the UGC has separately examined the issue of bringing Sri Siddhartha Institute of Technology, Tumkur under the ambit of Sri Siddhartha Academy of Higher Education, 'Institution Deemed-to-be-University', Siddharthanagar and vide its communication bearing No.F.26-4/2007(CPP-I/DU) dated 23.09.2008 has recommended that Sri Siddhartha Institute of Technology be included under the ambit of Sri Siddhartha Academy of Higher Education as the latter's constituent unit;

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the University Grants Commission (UGC), do hereby include Sri Siddhartha Institute of Technology, Maralur, Tumkur (Karnataka) as an off-campus constituent teaching unit of Sri Siddhartha Academy of Higher Education, Siddharthanagar, Tumkur District, Karnataka, for the purposes of the aforesaid Act, with effect from the date on which Sri Siddhartha Institute of Technology is disaffiliated from its affiliating university, viz., Visvesvaraya Technological University, Belgaum, Karnataka;

5. All the conditions that were stipulated in the Ministry's notification of even number dated 30.05.2008 and that govern the status of 'deemed to be university' conferred on Sri Siddhartha Academy of Higher Education shall continue to be in force, and be complied with;

6. The declaration as made in para 4 above is further subject to fulilment of the conditions mentioned at Sr. No.5 of the endorsement to this Notification;

7. Neither the Government of India nor the UGC shall provide any Plan or Non-Plan grant-in-aid to Sri Siddhartha Academy of Higher Education or its constituent teaching units.

SUNIL KUMAR
Joint Secy.

No. F. 9-48/2005-U.3—

Whereas the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of Higher Learning as an "Institution Deemed-to-be-University".

2. And whereas, a proposal was received from Vignan's Foundation for Science, Technology and Research, Vadlamudi, Guntur District, Andhra Pradesh seeking status of 'Deemed-to-be-University';

3. And whereas, the UGC has examined the said proposal and vide its communication bearing F.No.6-23/2005(CPP-I) dated 13.06.2008 has recommended conferment of status of 'deemed to be university' to Vignan's Foundation for Science, Technology and Research, Vadlamudi, Guntur District, Andhra Pradesh, comprising Vignan's Engineering College. The UGC has also recommended for review of performance of the Institute after five years;

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, hereby declare that Vignan's Foundation for Science, Technology and Research, Vadlamudi, Guntur District, Andhra Pradesh, shall be an "Institution Deemed-to-be-University" for the purposes of the aforesaid Act, provisionally for a period of five years, subject to the following conditions:

(i) Vignan's Foundation for Science, Technology and Research shall comprise only the Vignan's Engineering College at Vadlamudi (Chebrolu Mandal), Guntur District, Andhra Pradesh as its constituent teaching unit;

(ii) Vignan's Foundation for Science, Technology and Research shall become an "Institution Deemed-to-be-University" with effect from the date of disaffiliation of Vignan's Engineering College from its affiliating university, viz., Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad;

(iii) The declaration as made above under Section 3 of the UGC Act, 1956 shall not extend to cover the other teaching institutions/colleges established and run by Lavu Educational Society, Brodipet, Guntur, Andhra Pradesh. These Institutions/ colleges shall continue to be managed and run by Lavu Educational Society

(iv) The declaration as made above shall cover only those academic courses/programmes of the Vignan's Engineering College that are approved by the All India Council for Technical Education (AICTE) and those that are presently affiliated to Jawaharlal Nehru Technological University;

(v) The performance of Vignan's Foundation for Science, Technology and Research shall be reviewed after a period of five years.

(vi) The status of 'deemed to be university' conferred on 'Vignan's Foundation for Science, Technology and Research" and the overall performance of the Institution concerned shall be reviewed by the UGC, through an Expert Committee, after a period of five years.

5. The status conferred on 'Vignan's Foundation for Science, Technology and Research' shall be confirmed after a period of five years on the basis of review to be conducted by the UGC through an Expert Committee and recommendation of the UGC thereof;

6. The declaration as made in para 4 above is further subject to fulfillment / compliance of the conditions mentioned at Sr. No.6 of the endorsement to this Notification;

7. Neither the Government of India nor the UGC shall provide any Plan or Non-Plan grant-in-aid to Vignan's Foundation for Science, Technology and Research or its constituent unit.

SUNIL KUMAR
Joint Secy.

No. F. 9-57/2007-U.3(A)—

Whereas the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of Higher Learning as an "Institution Deemed-to-be-University".

2. And whereas, a proposal was received from Sri Bhagawan Mahaveer Jain Educational & Cultural Trust, Bangalore, Karnataka seeking to declare Sri Bhagawan Mahaveer Jain College, Bangalore as a 'Deemed-to-be-University', in the name and style of "Jain University", under Section 3 of the UGC Act, 1956;

3. And whereas, the UGC has examined the said proposal and vide its communication bearing F.No.26-19/2007(CPP-I/DU) dated 13.06.2008 has recommended conferment of status of 'deemed to be university' to Jain University, Bangalore comprising Sri Mahaveer Jain College, Bangalore. The UGC has also recommended that the performance of the institute may be reviewed after five years;

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, hereby declare that "Jain University, which is a registered Trust, shall be an "Institution Deemed-to-be-University" for the purposes of the aforesaid Act, provisionally for a period of five years, subject to the following conditions:

(i) 'Jain University' shall comprise Sri Bhagawan Mahaveer Jain College, 91/2, Dr. A.N. Krishna Rao Road, V.V. Puram, Bangalore as its constituent teaching unit;

(ii) Jain University shall become an "Institution Deemed-to-be-University" with effect from the date of disaffiliation of Sri Bhagawan Mahaveer Jain College from the latter's affiliating university, viz., Bangalore University, Bangalore;

(iii) The declaration as made above shall cover only those academic courses / programmes of Sri Bhagawan Mahaveer Jain College, V.V. Puram, Bangalore that are presently affiliated to Bangalore University, Bangalore.

(iv) The declaration as made above shall not extend to cover the other teaching institutions established and run by Sri Bhagawan Mahaveer Jain Educational & Cultural Trust, Bangalore, within or outside the campus of Jain University at V.V.Puram, Bangalore, including Sri Bhagawan Mahaveer Jain College, the branch located at 1st Cross, J.C. Road, Bangalore, Sri Bhagawan Mahaveer Jain College of Engineering, Jakkasandra Post, Kanakapura Taluk, Bangalore, Sri Bhagawan Mahaveer Jain Evening College and MATS Institute of Management & Entrepreneurship, Jakkasandra Post, Kanakapura Taluk, Bangalore.

(v) The status of 'deemed to be university' conferred on "Jain University" shall be reviewed by the UGC, through an Expert Committee, after a period of five years.

5. The status conferred on 'Jain University' shall be confirmed after a period of five years on the basis of review to be conducted by the UGC through an Expert Committee and recommendation of the UGC thereof;

6. The declaration as made in para 4 above is further subject to fulfillment / compliance of the conditions mentioned at Sr. No.4 of the endorsement to this Notification;

7. Neither the Government of India nor the UGC shall provide any Plan or Non-Plan grant-in-aid to Jain University or its constituent unit.

SUNIL KUMAR
Joint Secy.

The 5th January 2009

No. F. 9-23/2005-U.3—

Whereas the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of Higher Learning as an institution "deemed-to-be-university".

2. And whereas, an application was received in April 2005 from Lingaya's Institute of Management & Technology, Faridabad seeking declaration as an institution 'deemed-to-be-university' under Section 3 of the UGC Act, 1956;

3. And whereas, the University Grants Commission has examined the said proposal and vide its communication bearing No.6-32/2006(CPP-I) dated the 13th August 2008 has recommended the Central Government to declare Lingaya's Institute of Management & Technology, Faridabad an institution 'deemed-to-be-university', subject to review after five years;

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the University Grants Commission (UGC), hereby declare that Lingaya's Institute of Management & Technology, Faridabad shall be an institution "deemed-to-be-university", in the name and style of 'Lingaya's University', for the purposes of the aforesaid Act, subject to a review after five years, with effect from the date of its disaffiliation from its affiliating university, viz., Maharshi Dayanand University, Rohtak, Haryana;

5. The declaration that Lingaya's Institute of Management & Technology, Faridabad is an institution 'deemed-to-be-a-university', shall be confirmed after a period of five years on the basis of the aforesaid review by an Expert Committee of the UGC and recommendations of the Commission thereof;

6. The declaration as made in para 4 above is subject to fulfillment / compliance of further conditions mentioned at Sr. No.4 of the endorsement to this Notification;

7. Neither the Government of India nor the UGC shall provide any Plan or Non-Plan grant-in-aid to the Lingaya's Institute of Management & Technology, Faridabad / Lingaya's University.

SUNIL KUMAR
Joint Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 30th January 2009

Resolution

No. ERB-1/2007/23/5—

Further to Ministry of Railways (Railway Board)'s Resolutions of even number dated 05-02-2007, 12-2-2007 15-02-2007 & 14-10-2008 reconstituting the Passenger Amenities Committee under the Chairmanship of Shri Md. Ilyas Hussain, Ex. Minister, Government of Bihar, Ministry of Railways (Railway Board) have decided that the tenure of the aforesaid Committee should be extended for a further period of 2 years beyond 04-02-2009 or till further orders whichever is earlier, on the existing terms and conditions as contained in Board's Order of even number dated 15-02-2007.

2. Ministry of Railways(Railway Board) have also decided that Shri Vishan Deo Rai, ex-MLC, Village-Dighi Khurd, Post- Dighi Kala(East), Thana- Hajipur Sadar, District-Vaishali, Bihar -844101 will also function as Member in the existing composition of the Passenger Amenities Committee.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

B. K. MINZ
Joint Secy. (Gaz)
Railway Board

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली, द्वारा प्रकाशित 2009
PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATION, DELHI, 2009